भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या :836
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सुविधा शुल्क वसूलना

836. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि जिला उपभोक्ता निवारण आयोग, करूर, तमिलनाडु ने दिनांक 26.10.2022 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 22/2021 (बी. भरणीधरन बनाम मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड)में यह माना था कि नागर विमानन मंत्रालय के आदेश संख्या एवी.13030/34/2013-डीटी के अनुसार, एयरलाइन ऑपरेटर एयरलाइन की अपनी वेबसाइट पर सीधे टिकट बुक करने पर सुविधा शुल्क नहीं ले सकते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या एयरलाइन ऑपरेटर अभी भी उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए अपनी वेबसाइटों के माध्यम से की गई सीधी बुकिंग पर सुविधा शुल्क ले रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ख): एयरलाइनें यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टिकट बुक करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली के संचालन हेतु सुविधा शुल्क लेती हैं, जिसमें बैंक संव्यवहार लागत शामिल होती है जो भुगतान माध्यम के अनुसार अलग-अलग होती है। यह शुल्क एयरलाइन की वेबसाइटों पर प्रदर्शित होता है और टैरिफ का भाग होता है। नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 24.09.2013 के आदेश संख्या एवी.13030/34/2013-डीटी के अनुसार, मौजूदा नियमों के तहत ऐसे शुल्कों की अनुमति है, बशर्ते वे टैरिफ में शामिल हों और इससे अधिक कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जा रही हो।

*****